डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म0प्र0)
DOCTOR HARI SINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (MP)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय/A Central University)

(Ph.) +91 7582 297108

क्रमांकः परीक्षा/ऑफलाइन मोड/2021/ 1618 06 जनवरी 2022

विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की ऑफ लाइन परीक्षा के दौरान कोविड 19 महामारी से बचाव हेतु आवश्यक निर्देशः2021-22.

1. विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की बी.एच.एम.एस.तृतीय एवं चतुर्थ (पूरक) सत्र 2019 एवं बी.एड.(पार्ट टाइम) द्वितीय सेमेस्टर 2019 की परीक्षायें ऑफलाइन मोड (Offline Mode) में दिनांक 20 जनवरी 2022 से आयोजित की जाना है।

2. कोविड 19 महामारी से बचाव हेतु निम्नानुसार जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

-सभी प्रवेश, निकास एवं रिसेप्शन पर थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजर, फेस मास्क एवं दस्तानो की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिये, जहां तक संभव हो पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को नया फेस मास्क दिया जाना चाहियें।

- वरिष्ठ समन्वयक/समन्वयक/वीक्षक, प्रवेश और निकास की निगरानी करें तथा प्रवेश और निकास द्वार पर कम से कम दो मीटर की उचित दूरी पर केवल एक एक करके परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिये।

-एक से अधिक द्वार होने पर प्रवेश एवं निकास हेतु सभी द्वार खोले जाना चाहिये।

-परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग, फेस मास्क एवं हाथों की सफाई सुनिश्चित की जाये।

-ड्यूटी पर उपस्थित समन्वयक/वीक्षक/अन्य स्टाफ को लगातार मास्क एवं दस्तानें पहनने चाहिये।

- परीक्षार्थियों को उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करने के पहले एवं बाद में हाथ सेनेटाइज करने कहा जाना चाहिये।

- प्रत्येक स्टाफ एवं परीक्षार्थी के मोबाइल में **'आरोग्य सेतु'** ऐप डाउनलोड होना चाहिये।

- बुखार, खांसी और सर्दी जुकाम वाले परीक्षार्थी को अलग कमरें में बैठने की व्यवस्था होना चाहिये।

- परीक्षा केन्द्र पर लिक्विड साबुन एवं पानी की सुविधा होना चाहिये जिससे छात्र नियमित अंतराल के बाद हाथ धो सकें।

- दो परीक्षार्थियों के बीच बैठक हेतु न्यूनतम दूरी दो मीटर होना चाहिये।

SAMPLE SEATING PLAN

Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Candidate's Roll No	**Candidate's Roll No**	**Candidate's Roll No**	**Candidate's Roll No**
1	4	7	10
Empty	Empty	Empty	Empty
2	5	8	11
Empty	Empty	Empty	Empty
3	6	9	12
Empty	Empty	Empty	Empty

- परीक्षार्थियों के बैठने के लिये उपयोग की जाने वाली कुर्सी, डेस्क, परीक्षा कक्ष के फर्श, दीवारें और दरवाजे प्रत्येक सत्र के बाद आवश्यक रूप से सेनेटाइज किया जावें।

-सभी वॉशरूम को साफ और सेनेटाइज किया जावें तथा पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।

- सभी दरवाजे के हैंडिल, सीढ़ी की रेलिंग आदि प्रतिदिन सेनेटाइज किया जावें।

- परीक्षा केन्द्र पर यदि व्हीलचेयर हो तो प्रत्येक सत्र के बाद आवश्यक रूप से सेनेटाइज किया जावें।

- सभी कूड़े के डिब्बो को प्रतिदिन साफ किया जाना चाहिये।

- समाजिक दूरियां बनाये रखने के लिये उचित स्थान पर उचित चिन्ह, प्रतीक, पोस्टर आदि प्रर्दशित किये जाने चाहिये।

- परीक्षा समाप्ति के पश्चात् उपयोग किये गये मास्क एवं हाथों के दस्तानों को जमीन में गड्डा खोदकर दबाना सुनिश्चित किया जावे।

3.केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिशा निर्देशों एवं आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये। हालाकि यदि वे आवश्यक पाते हे तो और सख्त प्रावधान और दिशा निर्देश विकसित कर सकते है।

नोटः उक्त निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जारी पत्र D.O.No.F.1-1/2020(Secy) दिनांक 08 जुलाई 2020 Standard Operating Procedure (SOP) for Conduct of Examinations के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

आदेशानुसार

06/01/2022

प्रभारी परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः–

1. प्राचार्य,संबद्ध महाविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कुलपति के सचिव मान0 कुलपति जी
3. कुलसचिव के निजी सहायक, कुलसचिव
4. प्रभारी अनुभाग अधिकारी परीक्षा (गोप./सामान्य)
5. कक्षा सहायक
6. मीडिया ऑफीसर

(क्रम 2 से 6 तक) को सूचनार्थ।

7. वेबसेल–विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8. नस्ति।

06/01/2022

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)